



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274292
CG-DL-E-08072026-274292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3544]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

का.आ. 3706(अ).— जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियां, उपकरण और संघटक माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017" के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोपित विषयों को छोड़कर, केन्द्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर लागू होने की तिथि के साथ तालिका में शामिल पांच उत्पादों के लिए दिनांक 27.01.2025 को का.आ. 492 (अ) के माध्यम से "सौर प्रणालियों, उपकरणों और संघटक माल आदेश, 2025" जारी किया था। और जबकि, 200 किलोवाट (>200 किलोवाट) से अधिक की क्षमता के एसपीवी इनवर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन की समय-सीमा को दिनांक 30.06.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, दिनांक 05.08.2025 को प्रकाशित का.आ. 3597 (E) के माध्यम से बढ़ाया गया था।

2. और जबकि, सीमित परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए और अनुपालना के लिए अधिक समय प्रदान करते हुए, 200 किलोवाट (अर्थात्, >200 किलोवाट) से अधिक क्षमता के एसपीवी इनवर्टरों (मद 4-5) के लिए "सौर प्रणालियां, उपकरण और संघटक माल आदेश, 2025" के कार्यान्वयन की समय-सीमा को दिनांक

31.12.2026 या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), स्व-प्रमाणन के आधार पर, इस शर्त के अधीन बढ़ाया जाता है कि ऐसे निर्माताओं के पास मद संख्या 4 के लिए IS 16221 (Part 2): 2015/ IEC 62109-2: 2011 एवं IS/IEC 61683: 1999 तथा मद संख्या 5 के लिए IS 16221 (Part 2): 2015/ IEC 62109-2: 2011, IS 16169: 2019/ IEC 62116: 2014 एवं IS 17980: 2022/IEC 62891:2020 भारतीय मानकों के अनुरूप वैध आईईसी प्रमाणपत्र हों, जो आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इन मदों और मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्टों के लिए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

[फा. सं. 223/140/2017-R और D COORD]

राजेश कुलहरि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

S.O. 3706(E).— whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government had issued “Solar Systems, Devices and Components Goods Order, 2025” vide S.O. 492 (E) dated 27.01.2025 for five products included in the table with the date of coming into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette. And whereas, self- certification for SPV inverters (items 4-5) of the capacity of more than 200 kW (>200 kW) was extended up to 30.06.2026 or till further orders, whichever is earlier vide S.O. 3597 (E) published in Gazette of India dated 05.08.2025.

2. And whereas, in view of the availability of limited test facilities and providing more time for compliance, the implementation of “Solar Systems, Devices and Components Goods Order, 2025” for SPV inverters (items 4-5) of the capacity more than 200 kW (i.e., >200kW) stands **extended till 31.12.2026 or till further orders, whichever is earlier**, based on self-certification, subject to the condition that such manufacturers have valid IEC certificates corresponding to Indian standards (IS 16221 (Part 2): 2015/ IEC 62109-2: 2011 & IS/IEC 61683: 1999 for item No 4 and IS 16221 (Part 2): 2015/ IEC 62109-2: 2011, IS 16169: 2019/ IEC 62116: 2014 & IS 17980: 2022/IEC 62891:2020 for item No. 5), specified in the said order for these items and test reports from accredited test labs, for smooth implementation of the order.

[F. No. 223/140/2017-R and D COORD]

RAJESH KULHARI, Jt. Secy.